File No.11011/54/2023-Admn
National Commission for Protection of Child Rights
5th Floor, Chanderlok Building, 36-Janpath,
New Delhi-110001

14th December, 2023

Office Memorandum

Sub: Minutes of the 57th Statutory Meeting of the Commission held on 1st December, 2023 in the Conference Room (5th Floor) of NCPCR.

Kindly find enclosed herewith a copy of the minutes of the 57th Statutory Meeting of the Commission held on 1st December, 2023 duly approved by the Chairperson, NCPCR, for information and necessary action.

(Rupali Banerjee Singh)
Member Secretary

Encl./As Above:

To

1. The Chairperson
2. Dr. Divya Gupta, Member
3. Ms. Preeti Bharadwaj, Member
4. Registrar
5. Principal Research & Technical Expert (Education)
6. Sr. Professional (JJ & LRC)
7. STE (Child Health/ Child Psychology)
8. STE (NE /J&K and Ladakh Cell/ Education)
9. CL (Legal)/CL (Prog.)
10. CL (Child Labour)
11. AD/CL (Accounts)
12. PPS to Member Secretary
13. Minutes Register/Guard File.

Minutes of the 57th Statutory Meeting of the Commission held on 1st December, 2023 at 3.00 p.m. in the Conference Room (5th Floor) of NCPCR, Chanderlok Building, Janpath, New Delhi.

The present strength of the Commission is as follows:

1. Shri Priyank Kanoongo, Chairperson
2. Dr. Divya Gupta, Member
3. Ms. Preeti Bharadwaj, Member
4. Ms. Rupali Banerjee Singh, Member Secretary

The 57th Statutory Meeting of the Commission was held on 01.12.2023 at 3:00 p.m in the Conference Room (5th Floor) of NCPCR, New Delhi. The following were present:

1. Shri Priyank Kanoongo, Chairperson
2. Dr. Divya Gupta, Member
3. Ms. Preeti Bharadwaj, Member
4. Ms. Rupali Banerjee Singh, Member Secretary

The meeting commenced with a welcome note and brief introductory remarks by the Chairperson.

Confirmation of Minutes of the 56th Statutory Meeting of the Commission held on 06.09.2023:

The Chairperson informed that the Minutes of the 56th Statutory Meeting of the Commission were treated as confirmed as no comments were received.

AGENDA ITEMS:

The following Agenda Items were placed before the Commission for its consideration:-

Agenda Item No.1: Annual Accounts of NCPCR for the Financial Year 2022-23 along with Separate Audit Report of CAG:

The Accounts Division has submitted the Annual Accounts of NCPCR for the Financial Year 2022-23 along with a copy of the Separate Audit Report of CAG for perusal and approval of the Commission in the Statutory Meeting to be held on 1st December, 2023.

It is proposed to place the same before the Commission for its perusal and approval in the Statutory Meeting.

Decision: The Annual Accounts of NCPCR for the Financial Year 2022-23 along with copy of the Separate Audit Report of CAG were placed before the Commission for its perusal and approval and the same were approved by the Commission.

[Action: Accounts Division]

Rupali Banerjee 4/12/23

Agenda Item No.2: Enhancement/Revision of Hospitality Facilities for various categories of officers in NCPCR :

The Administration Division has submitted that in pursuance to decision taken in the Statutory Meeting of the Commission held on 02.03.2010, keeping in view the convenience of the Chairperson, Members, Member Secretary and Divisional Heads (Director/Registrar) in attending to the official guests/visitors to them as well as austerity measures, which the Commission is supposed to observe as part of the economy instructions of the Central Government, the Commission approved the ceiling on the monthly hospitality expenditure by them as under:

(i) Chairperson- upto Rs.5000/- per month
(ii) Members – upto Rs.3000/- per month
(iii) Member Secretary-upto Rs.2500/- per month
(iv) Divisional Heads (Director/Registrar)-upto Rs.2000/- per month

In pursuance of decision taken in the Statutory Meeting of the Commission held on 28.03.2011, the hospitality reimbursement in respect of other officers of NCPCR, viz, PPS/AD/AO/Dy.SP/DO was enhanced from Rs.400/- to Rs.500/- per month w.e.f. 1st April, 2011.

Further, in pursuance of decision taken in the 29th Statutory Meeting of the Commission held on 10.02.2016 and with the approval of Competent Authority, NCPCR, the hospitality allowance was enhanced from Rs.3,000/- to Rs.5,000/- per month to each Member of NCPCR.

Now the Ministry of Women & Child Development vide their O.M. No. 02-12/4/2023-GENERAL (107610) dated 26.06.2023 has decided to revise the expenditure on hospitality to its officers w.e.f. July, 2023. On the basis of MWCD's O.M dated 26.06.2023 and with the approval of Competent Authority, NCPCR, the rate of hospitality allowance has been revised to the following officers of the Commission as per their entitlement in the table given below subject to monthly ceiling indicated against them:-

S. No.	Level of Officer(s)	Existing ceiling per month in Rs.	Revised ceiling per month in Rs.
1.	Chairperson	5,000/-	No limit/ceiling
2.	Members	5,000/-	No limit/ceiling
3.	Member Secretary	2,500/-	6,000/-
4.	Director/Registrar and equivalent officers	2,000/-	3,000/-
5.	PPS and equivalent officers	500/-	2,000/-
6.	AD/AO/SO/PS and equivalent officers	500/-	1,000/-

Rupali Banerjee 17/11/23

It is proposed to place this matter before the Commission for its perusal and ratification in the Statutory Meeting.

Decision: The proposal was placed before the Commission for its perusal and ratification. The Commission noted and ratified the proposal.

[Action: GA Section]

Agenda Item No.3: Special Report on Child Protection in the State of West Bengal:

The Commission as per Section 16, sub-clause (1) of the CPCR Act, 2005, has prepared a Special Report on Child Protection in the State of West Bengal for placing it before both the Houses of Parliament in the upcoming Parliament Session. The same shall be submitted to the Ministry of Women and Child Development (MWCD) for necessary action in this regard.

It is proposed to place this Report before the Commission for its perusal and approval in the Statutory Meeting.

Decision: The Special Report on Child Protection in the State of West Bengal was placed before the Commission for its perusal and approval. The Special Report was approved by the Commission for laying it before both the Houses of Parliament.

[Action: PRTE (Education)]

Agenda Item No.4: Annual Report of NCPCR for the Financial Year 2022-23:

The Commission as per Section 16, sub-clause (1) of the CPCR Act, 2005, has prepared Annual Report of NCPCR for the Financial Year 2022-23 for placing it before both the Houses of Parliament in the upcoming Parliament Session. The same shall be submitted to the Ministry of Women and Child Development (MWCD) for necessary action in this regard.

It is proposed to place the Annual Report of NCPCR before the Commission for its perusal and approval in the Statutory Meeting.

Decision: The Annual Report of NCPCR for the Financial Year 2022-23 was placed before the Commission for its perusal and approval. The Report was approved by the Commission for laying it before both the Houses of Parliament.

[Action: PRTE (Education)]

14/12/23

Additionally, the following Table Agenda Items were also placed before the Commission for its consideration:

Table Agenda Items:

Agenda Item No.5: Guidelines for transaction of Business outside Headquarters of NCPCR:

Chairperson, NCPCR informed the Commission that NCPCR had developed ***"Guidelines for transaction of Business outside Headquarters of NCPCR"*** in 2017 for holding hearings in the matters pertaining to violation and deprivation of child rights by conducting field visits by its functionaries (copy enclosed). The purpose of these hearings was to gain firsthand experience regarding complaints being handled by NCPCR and also to strategize improvements in redressal of these complaints.

As per these Guidelines, an expenditure of Rs.5.00 lakh (approx.) per hearing is required. Keeping in view the shortage of funds with the Commission, it is proposed to drop these guidelines from the archives of NCPCR's website and these may cease to operate henceforth.

Decision: Chairperson NCPCR informed the Commission that NCPCR has conducted around 150 Benches/Camps in Aspirational Districts/Blocks across the country so far without any major financial implication. Therefore, it was decided by the Commission to drop the above guidelines from the archives of NCPCR's website and these may cease to operate henceforth.

[Action: STE (Child Health)/CL (IT)]

14/11/23

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

....

फा.सं. 11011/53/2023-प्रशा.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
5वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 14.12.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 01.12.2023 को रा.बा.अधि.सं. आयोग के पंचम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 57वीं सांविधिक बैठक का कार्यवृत्त।

कृपया अध्यक्ष महोदय, एनसीपीसीआर द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, दिनांक 01.12.2023 को आयोजित रा.बा.अधि.सं. आयोग की 57वीं सांविधिक बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

(रूपाली बनर्जी सिंह)
सदस्य सचिव

रूपाली बनर्जी सिंह / Rupali Banerjee Singh
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
National Commission for Protection of Child Rights
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार, नई दिल्ली / Govt. of India, New Delhi

संलग्न/उपर्युक्त:

सेवा में,

1. अध्यक्ष के प्रधान निजी सचिव
2. डॉ. दिव्या गुप्ता, सदस्य
3. श्रीमती प्रीति भारद्वाज, सदस्य
4. रजिस्ट्रार
5. प्रधान अनुसंधान एवं तकनीकी विशेषज्ञ(शिक्षा)
6. वरिष्ठ प्रोफेशनल(जेजे एवं एलआरसी)
7. वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(बाल स्वास्थ्य/बाल मनोविज्ञान)
8. वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ (एनई, जे एंड के तथा लद्दाख प्रकोष्ठ/शिक्षा)
9. परामर्शदाता(विधि)/परामर्शदाता(कार्यक्रम)
10. परामर्शदाता(बाल श्रम)
11. सहायक निदेशक/परामर्शदाता(लेखा)
12. सदस्य सचिव के प्रधान निजी सचिव
13. कार्यवृत्त रजिस्ट्रार/गार्ड फाइल

दिनांक 01दिसंबर, 2023 को रा.बा.अधि.सं.आ., चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली के पंचम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 57 वीं सांविधिक बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग का वर्तमान संख्याबल इस प्रकार है:

1. श्री प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष
2. डॉ. दिव्या गुप्ता, सदस्य
3. श्रीमती प्रीति भारद्वाज, सदस्य
4. श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह, सदस्य सचिव

आयोग की 57 वीं सांविधिक बैठक दिनांक 01.12.2023 को अपराह्न 3:00 बजे रा.बा.अधि.सं.आ., नई दिल्ली के पंचम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:

1. श्री प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष
2. डॉ. दिव्या गुप्ता, सदस्य
3. श्रीमती प्रीति भारद्वाज, सदस्य
4. श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह, सदस्य सचिव

बैठक का आरंभ अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वागत टिप्पणी और संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी के साथ हुआ।

दिनांक 06.09.2023 को आयोजित आयोग की 56वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आयोग की 56 वीं सांविधिक बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी जाए क्योंकि किसी से भी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

रूपाली बनर्जी सिंह / Rupali Banerjee Singh
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
National Commission for Protection of Child Rights
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार, नई दिल्ली / Govt. of India, New Delhi

कार्यसूची मदें:

आयोग की सांविधिक बैठक में विचारार्थ निम्नलिखित कार्य सूची रखी गई।

कार्यसूची मद सं.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कैग की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट

लेखा प्रभाग द्वारा दिनांक 1 दिसंबर, 2023 को आयोजित आयोग की सांविधिक बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वार्षिक लेखा खातों सहित कैग की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त को आयोग की सांविधिक बैठक में अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ रखा जाए।

निर्णय: आयोग की सांविधिक बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वार्षिक लेखा खातों सहित कैग की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई और उक्त को आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाई: लेखा प्रभाग)

कार्यसूची सं. 2 रा.बा.अधि.सं.आ. के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु जलपान सुविधा में बढ़ोतरी/संशोधन।

दिनांक 02.03.2010 को आयोजित आयोग की सांविधिक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में, प्रशासन प्रभाग द्वारा अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव और प्रभाग प्रभारी(निदेशक/रजिस्ट्रार) की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आने वाले अधिकारी अतिथियों/आंगतुकों का आदर-सत्कार करने के साथ-साथ आयोग द्वारा केंद्र सरकार की अर्थ संबंधी निर्देशों के तौर पर मितव्ययिता के उपायों का पालन करते हुए आयोग द्वारा मासिक जलपान व्यय पर निम्नानुसार दर तय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है:

I. अध्यक्ष- 5000/- रू. प्रतिमाह
2. सदस्य- 3000/- रू. प्रतिमाह
3. सदस्य सचिव- रू2500/-रू.प्रतिमाह
4. प्रभाग प्रभारी(निदेशक/रजिस्ट्रार)-2000/-रू. प्रतिमाह

दिनांक 28.03.2011 को आयोजित आयोग की सांविधिक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में, दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अन्य अधिकारियों के संबंध में जलपान प्रतिपूर्ति राशि 400/-रू. से 500/-रू.प्रतिमाह बढ़ाया गया था।

रूपाली बनर्जी सिंह / Rupali Banerjee Singh
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
National Commission for Protection of Child Rights
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार, नई दिल्ली / Govt. of India, New Delhi

इसके अलावा, दिनांक 10.02.2016 को आयोजित आयोग की 29वीं सांविधिक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोग के प्रत्येक सदस्य का जलपान भत्ता 3000/-रू. से 5000/-रू.प्रतिमाह किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अब, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं. 02-12/4/2023-जर्नल(107610) दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से जलपान पर होने वाले व्यय को जुलाई, 2023 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। एमडब्ल्युसीडी के दिनांकित 26.06.2023 **के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी, रा.बा.अधि.सं.आ. के अनुमोदन से, आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को नीचे दी गई तालिका में उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह जलपान व्यय भत्ता संशोधित किया जाता है**

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	मौजूद दर प्रतिमाह(रूपए में)	संशोधित दर प्रतिमाह(रूपए में)
1.	अध्यक्ष	5000/-	कोई सीमा नहीं
2.	सदस्य	5000/-	कोई सीमा नहीं
3	सदस्य सचिव	2500/-	6000/-
4	निदेशक/रजिस्ट्रार एवं समतुल्य अधिकारी	2000/-	3000/-
5	पीपीएस एवं समतुल्य अधिकारी	500/-	2000/-
6	एडी/एओ/एसओ/पीएस एवं समतुल्य अधिकारी	500/-	1000/-

यह प्रस्तावित किया जाता है कि उक्त मामले को आयोग के समक्ष अवलोकनार्थ और सांविधिक बैठक में अनुसमर्थनार्थ रखा जाए।

निर्णय: प्रस्ताव आयोग के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुसमर्थनार्थ प्रस्तुत किया गए। आयोग ने प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

(कार्रवाई: सामान्य प्रशासन अनुभाग)

कार्यसूची मद सं. 3 पश्चिम बंगाल राज्य में बाल संरक्षण पर विशेष रिपोर्ट

सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 16 के उपबंध(1) के अनुसार आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में बाल संरक्षण पर विशेष रिपोर्ट को आने वाले संसद सत्र के दोनों सदनों में रखने हेतु तैयार किया गया है। उक्त रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय(एमडब्ल्युसीडी) को उचित कार्रवाई के आशय से प्रस्तुत की जाएगी।

रूपाली बनर्जी सिंह / Rupali Banerjee Singh
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
National Commission for Protection of Child Rights

यह प्रस्तावित है कि इस रिपोर्ट को आयोग के अवलोकनार्थ तथा सांविधिक बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

निर्णय: पश्चिम बंगाल राज्य में बाल संरक्षण पर विशेष रिपोर्ट को आयोग के अवलोकनार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पूर्व आयोग द्वारा रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाई: पीआरटीई(शिक्षा))

कार्यसूची मद सं.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रा.बा.अधि.सं.आ. की वार्षिक रिपोर्ट

सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 16 के उपबंध(1) के अनुसार आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रा.बा.अधि.सं.आ. की वार्षिक रिपोर्ट को आने वाले संसद सत्र में दोनों सदनों में रखने हेतु तैयार किया गया है। उक्त रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय(एमडब्ल्युसीडी) को उचित कार्रवाई के आशय से प्रस्तुत की जाएगी।

यह प्रस्तावित है कि इस रिपोर्ट को आयोग के अवलोकनार्थ तथा सांविधिक बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

निर्णय :वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रा.बा.अधि.सं.आ. की वार्षिक रिपोर्ट को आयोग के अवलोकनार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पूर्व आयोग द्वारा रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाई: पीआरटीई(शिक्षा))

इसके अलावा, निम्नलिखित टेबल कार्यसूची मद को भी विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

<u>टेबल कार्यसूची मद:</u>

<u>टेबल कार्यसूची मद सं. 5</u> **रा.बा.अधि.सं.आ. के मुख्यालय से बाहर कार्य करने के लिए दिशानिर्देश**

आयोग अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि रा.बा.अधि.सं.आ ने वर्ष 2017 में रा.बा.अधि.सं.आ. के मुख्यालय से बाहर कार्य करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए **थे ताकि बाल अधिकारों के उल्लंघन एवं हनन संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए जाए** (प्रति संलग्न)। इन सुनवाईयों का उद्देश्य आयोग द्वारा देखी जा रही शिकायतों के संबंध में अनुभव अर्जित करना था और शिकायतों के निवारण में चरणबद्ध सुधार लाना था।

रूपाली बनर्जी सिंह / Rupali Banerjee Singh
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
National Commission for Protection of Child Rights
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सुनवाई के खर्च हेतु 5.00 लाख रू.(अनुमानित) की आवश्यकता है। आयोग में निधि के अभाव को देखते हुए, यह प्रस्ताव रखा जाता है कि दिशानिर्देशों को आयोग की वेबसाइट के पुरालेख से हटा दिया जाए तथा इसके बाद से इन दिशानिर्देशों का परिचालन बंद किया जा सकता है।

निर्णय: आयोग अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आयोग द्वारा बिना किसी मुख्य वित्तीय पहलू के देशभर के आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में करीब 150 बेंचों/शिविरों का आयोजन किया गया है। इसलिए, आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिशानिर्देशों को आयोग की वेबसाइट के पुरालेख से हटा दिया जाए तथा इसके बाद से इन दिशानिर्देशों का परिचालन बंद किया जा सकता है।

(कार्रवाई: एसटीई(बाल स्वास्थ्य)/परामर्शदाता(आईटी)

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

रूपाली बनर्जी सिंह / Rupali Banerjee Singh
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
National Commission for Protection of Child Rights
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार, नई दिल्ली / Govt. of India, New Delhi